FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपजिलाधिकारी मुकाम [illegible]
घनश्याम बनाम फौजी
त मुकदमा 39 (2017) नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
6/1/17	प्रकरण का [illegible] प्रार्थनापत्र स्वीकार हो चुका है अतः यह प्रार्थनापत्र पुनः नम्बर पर लिया जाता है प्रकरण दर्ज रजि० हो। पत्रावली वास्ते आदेश कार्यवाही दिनांक 10/3/17 को पेश हो। [initials]	
10/3/17	वकील प्रार्थी उप० अनावेदकगण तलब हो पत्रावली दिनांक 21/4/17 को पेश हो। [initials]	
21/4/17	वकील प्रार्थी उप० प्रकरण [illegible] दिनांक 12/7/17 को पेश हो। [initials]	घनश्याम
12/7/17	पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/9/17 रीडर एस डीओ/एसडीएम	घनश्याम घनश्याम
29/9/17	पीठासीन अधिकारी .... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/11/17 रीडर एस डीओ/एसडीएम	घनश्याम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	30/3/12	एड- प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के कारण अतिरिक्त नहीं भिजवाया जा सका। पत्रावली दिनांक 5/4/12 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
	5/4/12	प्रकरण पेश हुआ। एड० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 39 नियम 2(अ) जा० दीवानी बाबत हुक्म अदूली के तहत पेश कर निवेदन किया है कि सायलान ने गैर सायलान के विरुद्ध एक दावा हुक्मइम्तनाई मे दायर किया था उसके साथ एक [illegible] के तहत पेश की थी। अन्तर्गत धारा 212 RT Act है। प्रार्थना पत्र में हुक्म- जो इस समय गैर मौजूद है। इम्तनाई अस्थाई पेश की थी। दिनांक 3/7/2001 को गैर सायलान के विरुद्ध जारी हुए कि गैर सायलान आ० ख० न० 769 रकबा 0.24 हे० के 1/3 भाग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी, मजाहमत नहीं करें सायल को शान्ति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें, फसल को नहीं उजाड़े, तोड़-फोड़ नहीं करें। सायलान के जरी पुख्ता हुक्मइम्तनाई अस्थाई की तामील करवाकर गैर सायलान नियत तारीख पेशी को न्यायालय उपस्थित हुए उन्होंने अपना जवाब दिनांक 19/9/2001 को न्यायालय पेश किया। विवादित आराजी की [illegible] करें पार्टियों से नियमानुसार पैमाइश कराई गई। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष निशानात कायम करवाये थे। सायलान मुताबिक पैमाइश अपनी आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे। सायलान ने अपने उक्त हिस्से में चना की फसल बोई थी जो सामान्य खड़ी थी। गैर सायलान ने मुतनाजा आराजी पर दिनांक 8/10/2001 को सुबह 6 बजे ट्रैक्टर से हल चलाकर फसल को नष्ट किया। गैर सायलान ने न्यायालय के आदेश की [illegible] की है। इस तरह का अवमानना [illegible] सायलान के विरुद्ध सायल [illegible] थाना बयाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसकी रिपोर्ट 616/2001 है। अनुसंधान पत्रावली में गैर सायलान द्वारा बाद जानकारी अदालत के आदेश की अवहेलना	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख हुक्म
	करना कानूनी अपराध है। उन्होंने लट्ठ की ताकत के बल पर बावजूद पाबन्दी के सायलान की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अन्त में गैर सायलान के कृत्य के लिए कुर्की करने का जेल भिजवाने का सफलता को कुर्की करने का निवेदन किया है।	
	प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गैर सायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार कर अंकित किया है कि मौके पर कोई पैमाइश नहीं की गई है एवं ना ही कोई पैमाइश हमारे समक्ष की गई है। गैर सायलान द्वारा सायलान की किसी भूमि को मौके पर नहीं दबाया बल्कि सायलान द्वारा ही हमारी भूमि में नाजायज कब्जा कर हमारी फसल को काटा गया है हमने सायलान के विरुद्ध पुलिस थाना बयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी तफ्तीश गैर सायलान गिरफ्तार हो चुके है जारी है। हमारे द्वारा दर्ज रिपोर्ट से बचने के लिए सायलान ने हमारे विरुद्ध झूठी दर० पेश की है। हमारे द्वारा न्यायालय के किसी आदेश की पालना नहीं की है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रथम खारिज करने का निवेदन किया है।	
	गैर सायल नम्बर-01 के फौत होने पर उसके वारिसान सतक अंकित किया।	
	सायलान ने दस्तावेजी साक्ष्य में Ex-1 प्रमाणित आदेशिका 31/7/2001 उन्मूलन [illegible] वनाम कोली प्रार्थना पत्र [illegible] नकल, Ex-2 FIR 616/2001 [illegible] छाया प्रति, मौखिक साक्ष्य [illegible] PW-2 छुपराम के शपथ पत्र पेश किये हैं। साक्ष्य गैर सायलान में शपथ पत्र DW-1 गोपाल, DW-2 दामोदर के शपथ पत्र पेश हुए।	

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म
	हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह धाकड़ को सुना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया। प्रदर्श-1 से यह सत्य है कि न्यायालय हाजा के आदेशानुसार दिनांक 31/7/2001 से विवादित आराजी के 1/3 भाग मे गैर सायलान के विरुद्ध कार्यवाही निषेधाज्ञा जारी की गई। जिरह सायलान PW-1 के सायलान ने यह बयान कलम बद्ध कराए है कि मेरे जो दावा किया था वह अभी चल रहा है। मेरे थाने मे FIR की थी जिसमे पुलिस ने तफ्तीश की अगर पुलिस ने FR लगा दी है तो मुझे मालूम नही। पैमाइश सुनवाई में लगा दी है तो मुझे बाद में लगा था। जिरह PW-2 ने हुई थी उसके बाद में लगा था। जिरह PW-2 ने बयान कलम बद्ध कराए है कि हमने अपनी फिर्याद 8/10/01 को चना, सरसों जोतने के बाद व पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद पेश की। नहीं बता सकता। पुलिस और सायलान से मिल गई इस लिए FR लगा दी।	
	गैर सायलान के मौखिक साक्ष्य शपथ पत्र DW1 गोपाल व दामोदर (DW-2) ने अंकित किया है कि हमारे द्वारा न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना नही की है। हमारे सामने किसी प्रकार की पैमाइश नही हुई थी। सायलान झगड़ालू प्रकृति के व्यक्ति है। एडवोकेट सायलान द्वारा फाईल किए न्यायालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना न० 3 के साथ मा० न्यायालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना दिनांक 7/4/04 FIR सं० 616/01 में दिए आदेश का भी गहनता से अध्ययन किया। यही आदेश का भी गहनता से अध्ययन किया। हुक्म उदूली न्यायालय हाजा के विचाराधीन प्रकरण का निर्णय होना है। सायलान द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे [illegible] साबित होवे कि गैर सायलान द्वारा [illegible] दिनांक 769 रकबा 0.24 में [illegible] आराजी 31/07/2001 को अवहेलना [illegible] कोई पैमाइश बाबत पैमाइश हुई थी या नहीं। ऐसी कोई पैमाइश रिपोर्ट भी सायलान द्वारा विवादित आराजी की पेश नहीं की है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सायलान द्वारा पेश सायलान ने खिलाफ हुक्म अदली बाबत पेश नहीं किया है। हुक्म अदली का अपराध गैर सायलान द्वारा किया गया हो प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज योग्य है।
	<u>आदेश</u> –
	अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05।05।21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested